आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1899(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना -** (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम फोसफोरस ऑक्सीक्लोराइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।

   (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

2. **मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** उक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-** इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. **उल्लंघन के लिए शास्ति-**कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का नाम**
(1)	(2)	(3)
फोसफोरस ऑक्सीक्लोराइड	आईएस 11657: 1986 पुन: अभिपुष्ट 2015	फोसफोरस ऑक्सीक्लोराइड, तकनीकी के लिए विनिर्देश

[फा. सं. 13012/27/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2020

S.O. 1899(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title, commencement and application. – (1) This Order may be called the Phosphorous Oxycholride (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force on the One hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.

2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the aforesaid Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority. – The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in this order.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Phosphorous Oxycholride	IS 11657: 1986 Reaffirmed 2015	Specification for Phosphorous Oxychloride, Technical

[F. No. 13012/27/2019-Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

का.आ. 1900(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मानते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के बाद, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना -** (1)इस आदेश का संक्षिप्त नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवें दिन पर प्रवृत्त होगा।

   (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, लेकिन इसका कुछ भी निर्यात के लिए बने मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

2. **मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे औरउन परभारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-** इस आदेश में निर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. **उल्लंघन के लिए शास्ति-**कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

तालिका

माल या वस्तुएं	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक के लिए नाम**
(1)	(2)	(3)
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	आईएस 2080: 1980, (पुन: अभिपुष्ट 2016)	स्टेबीलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए विनिर्देश

[फा. सं. 13012/28/2019-रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव